

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।

पत्रांक/ 261 / फसल ऋण माफी योजना/2017-18/दिनांक 12/07/2017
महोदय,

आप अवगत ही है कि शासन द्वारा प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत दिनांक 15.08.2017 को मुख्यालय स्तर एवं तहसील स्तर पर लगभग 25 हजार कृषकों को प्रमाण पत्र वितरण व्यवस्था हेतु कैम्पों का आयोजन किया जाना है, जिस पर व्यय हेतु निम्नानुसार धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी।

1- प्रशासनिक व्यय

फोटो स्टेट मशीन

लैपटॉप

इन्वॉयर्स बैटरी सहित

फोटो स्टेट पेपर

डीजल एवं अन्य व्यय हेतु

:- 483200.00

2- मुख्यालय स्तर पर कैम्प हेतु

सूक्ष्म जलपान एवं टेन्ट व्यवस्था

:- 1000000.00

3- तहसील स्तर पर कैम्प व्यवस्था हेतु

(सदर, मोदीनगर, लोनी)

सूक्ष्म जलपान एवं टेन्ट व्यवस्था हेतु


:- 1500000.00

कुल योग

:- 2983200.00

अतः उपरोक्तानुसार बजट आवंटन करने का कष्ट करें, ताकि कार्यक्रम को संचालित करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

भवदीय


(मिनिस्ती एस०)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

पृष्ठांकन

/दिनांक उक्तः

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।

2:- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं संस्थागत वित्त, उ०प्र० शासन लखनऊ।

3:- प्रमुख सचिव (कृषि), उ०प्र० शासन लखनऊ।

4:- मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।